भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2410
दिनांक 21.12.2022 को उत्तर देने के लिए

अवैध खनन को रोकने के लिए एसओपी

†**2410**. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश में अवैध खनन को रोकने के लिए संबंधित राज्यों के लिए कोई राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने अवैध खनन से निपटने के लिए एसओपी विकसित करने के संबंध में ओडिशा राज्य सरकार को सलाह दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित एसओपी के मसौदे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और राज्य सरकारें, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई एवं भंडारण को रोकने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए ऐसे नियम बना सकती हैं। अतः, अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकारों के वैधानिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

तथापि, केंद्र सरकार ने देश में अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) वर्ष 2015 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन करके अवैध खनन के लिए दंड को और अधिक कठोर बना दिया गया। अधिनियम की धारा 4(1) और 4(1क) के उल्लंघन के लिए दंड को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है और कारावास की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 30ख में अवैध खनन/ढुलाई/भंडारण मामलों के त्वरित सुनवाई के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है और अधिनियम की धारा 30ग में प्रावधान है कि ऐसे विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय माना जाएगा।

(ii) खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से राज्य सरकार, जो आवश्यक कार्रवाई करेगी, को किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है। खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य उपग्रह चित्रों (सैटेलाईट इमेजिस) के उपयोग के माध्यम से पट्टा क्षेत्र से परे अवैध खनन गतिविधि का पता लगाना है।

(iii) अधिनियम की धारा 23(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में ओडिशा सहित 22 राज्य सरकारों ने अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाए हैं।

(iv) 22 राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सदस्य विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए कार्य दल (टास्क फोर्स) का गठन किया है।

*****